



दिनांक: 03-01-2026

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि 06.10.2025 को वादी श्री इमरान पुत्र पीरू निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बावत जमील पुत्र अलीशेर, राशिद व वसीम पुत्रगण जमील निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा धारदार हथियार से चोट पहुँचाते हुए वादी की उँगली काट देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 115(2)/118(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त **वसीम पुत्र जमील निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को भोगपुर पुलिया ग्राम मुजफ्फराबाद से भोगपुर जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वसीम पुत्र जमील निवासी फरकपुर नवादा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 03.01.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड रेत से भरे, बिना प्रपत्र के 01 डम्पर व 01 ट्रैक्टर ट्राली सहित सीज

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार एवं राजस्व टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 03.01.2025 की रात्रि में चौकी शाहजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 01 ट्रैक्टर ट्राली व 01 डम्पर को चैक किया गया जो ओवरलोड रेत से भरे, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहे थे। बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए, दोनों वाहनों को संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही सीज किया गया।

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. श्री कवंर सिंह संग्रह अमीन तहसील सदर सहारनपुर।
3. श्री नितिन गुप्ता संग्रह अमीन तहसील सदर सहारनपुर।
4. थाना सरसावा पुलिस टीम।



दिनांक: 03.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना नागल पुलिस द्वारा गैरस्टर एक्ट के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लूट/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0001/26 धारा 2/3 गैरस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सोएब पुत्र कामिल निवासी ग्राम ताशीपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर को ग्राम मीरपुर मोहनपुर रेलवे ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0 006/26 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त सोयब पुत्र कामिल निवासी ग्राम ताशीपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 27/24 धारा 302/120 बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 289/25 धारा 352/351(3)/3(5) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 329/25 धारा 352 बीएनएस थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 001/26 धारा 2/3 गैरस्टर एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 006/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना नागल सहारनपुर।
2. है0का0 914 रणजीतसिंह थाना नागल सहारनपुर।
3. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नागल सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.01.2026

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमें में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.01.2026 को वादिया ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 01.01.2026 की रात्रि में शौच जाते समय रास्ते में अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम फखरेड़ा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 02/2026 धारा 74 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अरुण कुमार पुत्र रामपाल नि0ग्रा0 फखरेड़ा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरुण कुमार पुत्र रामपाल नि0ग्रा0 फखरेड़ा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2019 राहुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.01.2026

थाना गंगोह पुलिस द्वारा पॉक्सों एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.12.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 07.12.2024 की रात्रि में अभि० आफताब पुत्र शहजाद निवासी हरिजन कालोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा वादी द्वारा शादी के लिये जोड़े गये रुपये व आभूषण भी अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 528/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

पुलिस उपमहिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पिछले 01 वर्ष से वांछित चल रहे अभियुक्त **आफताब पुत्र शहजाद निवासी हरिजन कालोनी छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आफताब पुत्र शहजाद नि० हरिजन कालोनी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 88/22 धारा (1)60आबकारी अधि० थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री बिलेश कुमार सिसौदिया थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. हे०का० 1265 प्रदीप कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



दिनांक:03.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर

चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06.10 कि.ग्रा. तार व 01 नाजायज चाकू बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 21.12.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादिया के घर से एसी के कापर पाइप व बिजली के फिटिंग का सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 758/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त रजत पुत्र राजेश निवासी रामनगर मल्लिपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को छोटी लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू व बिजली के तार कुल वजन 6 किलो 100 ग्राम बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा नाजायज चाकू की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 07/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजत पुत्र राजेश निवासी रामनगर मल्लिपुर रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 नाजायज चाकू
- बिजली के तार कुल वजन 6 किलो 100 ग्राम

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 287/18 धारा 147/323/354/452/504/506 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 152/17 धारा 147/148/149/307/323/332/336/353/427/435/436 भादवि व ¾ सा0 स0न0नि0 अधि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 154/17 धारा 147/148/149/435/436 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 162/17 धारा 147/148/149/307/332/353/427/436 भादवि व ¾ सा0 स0न0नि0 अधि0 थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

5. मु0अ0सं0 163/17 धारा 147/148/149/307/323/325/332/352/353/395/427/435/504 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 356/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 242/25 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विमल कुमार सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
4. का0 385 सुशील कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।
5. पीआरडी 3450 जोगिन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:03.01.2026

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.12.2019 को प्रभारी निरीक्षक श्री यज्ञदत्त शर्मा थाना देबबंद जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र धर्मसिंह नि0 ग्राम मिरगपुर थाना देबबंद जनपद सहारनपुर 2.शुभम पुत्र सुभाष नि0 ग्राम बिस्तीपुर थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड 3.शादीराम उर्फ संदीप पुत्र कुंवरपाल नि0 ग्राम खेडाजट थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार 4.अनुज पुत्र सिताब सिंह नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देबबंद जनपद सहारनपुर 5.सूरज पुत्र मुन्ना कश्यप नि0 ग्राम फलौदा रहमतपुर थाना देबबंद जनपद सहारनपुर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-1065/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना देबबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-2994/2025 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.01.2026 को अभियुक्त अनुज पुत्र सिताब सिंह निवासी ग्राम दुगचाडा थाना देबबंद जनपद सहारनपुर को थाना देबबंद पर पंजीकृत मु0अ0स0-1065/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान

विवेचक-निरीक्षक श्री के0पी0 सिंह

पैरोकार- का0 उत्तम सिंह थाना देबबंद सहारनपुर